रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-17012022-232690 CG-MH-E-17012022-232690

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

No. 281

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2022/पौष 27, 1943 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2022/PAUSHA 27, 1943

भारतीय रिजर्व बैंक

(विनियमन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 14 जनवरी, 2022

फेक्टर का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियम, 2022

अधिसूचना सं. विवि.विसंअ.080/मुमप्र (जेपीएस) - 2022

फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 31ए के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा फैक्टरिंग का व्यवसाय करने वाले कंपनियों को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के तरीके से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों को फेक्टर का पंजीकरण (रिज़र्व बैंक) विनियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) "अधिनियम" से तात्पर्य फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) से है;

325 GI/2022 (1)

- (2) "रिज़र्व बैंक" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक:
- (3) "कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3 के खंड (20) में परिभाषित कंपनी से है;
- (4) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी फेक्टर (एनबीएफसी-फेक्टर)" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (एफ) में परिभाषित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है, जिसका प्रमुख व्यवसाय इन विनियमों के विनियम 4 के अनुसार है और अधिनियम की धारा 3 के तहत जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया है;
- (5) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निवेश और क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी)" से तात्पर्य कोई ऐसी कंपनी से है जो ऐसे वित्तीय संस्थान है जिनका प्रमुख व्यवसाय आस्ति वित्त, अपने स्वयं के और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए ऋण या अग्रिम या अन्यथा वित्त प्रदान करना है और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45आईए के तहत सीओआर प्रदान किया गया हो और रिज़र्व बैंक द्वारा अपने किसी भी मास्टर निदेश में परिभाषित एनबीएफसी की कोई अन्य श्रेणी में नहीं आता हो।

3. निवल स्वाधिकृत निधि

एनबीएफसी-फेक्टर के रूप में पंजीकरण की मांग करने वाली प्रत्येक कंपनी के पास ₹5 करोड़ या समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) होनी चाहिए।

4. प्रमुख व्यवसाय मानदंड (पीबीसी)

एनबीएफसी-फेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि फेक्टरिंग व्यवसाय में उसकी वित्तीय आस्ति उसकी कुल आस्ति का कम से कम पचास प्रतिशत है और फेक्टरिंग व्यवसाय से प्राप्त उसकी आय उसकी सकल आय के पचास प्रतिशत से कम नहीं है।

5. पंजीकरण और उसके प्रासंगिक मामले

- (1) फेक्टरिंग व्यवसाय करने के इच्छुक प्रत्येक कंपनी अधिनियम के तहत एनबीएफसी-फेक्टर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक को एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे और इन विनियमों के विनियम 4 में निर्धारित पीबीसी के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।
- (2) कोई भी मौजूदा एनबीएफसी-आईसीसी, जो फेक्टरिंग व्यवसाय करने का इरादा रखता है, अधिनियम के तहत सीओआर प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक को एक आवेदन करेंगे, यदि वह निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:
 - (ए) सार्वजनिक जमा स्वीकार या धारण नहीं करना;
 - (बी) अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की कुल आस्ति;
 - (सी) इन विनियमों के विनियम 3 में निर्धारित एनओएफ आवश्यकता को पूरा करना;
 - (डी) विनियामकीय अनुपालन।
- (3) कोई भी मौजूदा एनबीएफसी-आईसीसी, जो उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन फेक्टरिंग व्यवसाय करने का इरादा रखते हैं, तो एनबीएफसी-आईसीसी से एनबीएफसी-फैक्टर में परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करेंगे। ऐसे एनबीएफसी-आईसीएसी इन विनियमों के विनियमन 4 में निर्दिष्ट पीबीसी का अनुपालन करेंगे।
- (4) इस तरह के रूपांतरण के लिए आवेदन, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के तहत एनबीएफसी-आईसीसी को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल सीओआर के समर्पण सहित, एनबीएफसी - फेक्टर के रूप में नए पंजीकरण के लिए सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) एक इकाई, जो अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत नहीं है, फेक्टरिंग का व्यवसाय कर सकती है यदि वह फेक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 5 में उल्लिखित इकाई है, अर्थात एक बैंक या संसद या राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित कॉर्पोरेट निकाय या सरकारी कंपनी है।

(6) एनबीएफसी-फेक्टर या पात्र एनबीएफसी-आईसीसी जिसे इन विनियमों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा सीओआर प्रदान किया गया है, सीओआर प्रदान करने की तारीख से छह महीने के भीतर फेक्टरिंग व्यवसाय शुरू करेंगे।

6. व्यवसाय का संचालन और विवेकपूर्ण विनियम

एनबीएफसी - फेक्टर या पात्र एनबीएफसी - आईसीसी जिन्हें अधिनियम के तहत सीओआर प्रदान किया गया है, वे अधिनियम के अनुसार और अधिनियम तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फेक्टरिंग व्यवसाय का संचालन करेंगे।

जे. पी. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./585/2021-22]

RESERVE BANK OF INDIA (Department of Regulation) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION

Mumbai, the 14th January, 2022

Registration of Factors (Reserve Bank) Regulations, 2022

Notification No. DOR.FIN.080/CGM(JPS) - 2022

In exercise of the powers conferred by section 3 read with Section 31A of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012), the Reserve Bank of India, hereby makes the following regulations pertaining to the manner of granting Certificate of Registration to companies which propose to do factoring business.

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Registration of Factors (Reserve Bank) Regulations, 2022.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

For the purpose of these regulations, unless the context otherwise requires:

- (1) "Act" means the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012);
- (2) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted under Section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (3) "Company" means a company as defined in clause (20) of section 3 of Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (4) "Non-Banking Financial Company Factor (NBFC-Factor)" means a non banking financial company as defined in clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934, which has its principal business as per Regulation 4 of these regulations and has been granted a Certificate of Registration (CoR) under section 3 of the Act;
- (5) "Non-Banking Financial Company Investment and Credit Company (NBFC-ICC)" means any company which is a financial institution carrying on as its principal business asset finance, the providing of finance whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own and the acquisition of securities, and granted a CoR under Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and is not any other category of NBFCs as defined by the Reserve Bank in any of its Master Directions.

3. Net Owned Fund (NOF)

Every company seeking registration as NBFC-Factor shall have a minimum Net Owned Fund (NOF) of ₹5 crore, or as specified by the Reserve Bank from time to time.

4. Principal Business Criteria (PBC)

An NBFC-Factor shall ensure that its financial assets in the factoring business constitute at least fifty per cent of its total assets and its income derived from factoring business is not less than fifty per cent of its gross income.

5. Registration and matters incidental thereto

- (1) Every company intending to undertake factoring business shall make an application to the Reserve Bank for grant of certificate of registration (CoR) as NBFC-Factor under the Act and shall ensure compliance with PBC as stipulated in regulation 4 of these regulations.
- (2) Any existing NBFC-ICC, intending to undertake factoring business, shall make an application to the Reserve Bank for grant of CoR under the Act if it satisfies the following eligibility criteria:
 - (a) not accepting or holding public deposits;
 - (b) total assets of ₹1,000 crore and above, as per the last audited balance sheet;
 - (c) meeting the NOF requirement as prescribed in regulation 3 of these regulations;
 - (d) regulatory compliance.
- (3) Any existing NBFC-ICC, which does not satisfy the above conditions but intends to undertake factoring business, shall approach the Reserve Bank for conversion from NBFC-ICC to NBFC-Factor. Such NBFC-ICCs shall comply with the PBC as specified in regulation 4 of these regulations.
- (4) Application for such conversion shall be submitted with all supporting documents meant for new registration as NBFC-Factor, together with surrender of original CoR issued by the Reserve Bank to the NBFC-ICC under Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- (5) An entity not registered with the Reserve Bank under the Act, may conduct the business of factoring, if it is an entity mentioned in Section 5 of the Factoring Regulation Act, 2011 i.e. a bank or a body corporate established under an Act of Parliament or State Legislature, or a Government Company.
- (6) NBFC-Factor or eligible NBFC-ICC which has been granted CoR by the Reserve Bank under these regulations, shall commence factoring business within six months from the date of grant of CoR.

6. Conduct of business and prudential regulations

NBFC-Factors or eligible NBFC-ICCs which have been granted CoR under the Act shall conduct the factoring business in accordance with the Act and rules and regulations framed under the Act or the directions and guidelines issued by the Reserve Bank from time to time.

J. P. SHARMA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./585/2021-22]